

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह म.प्र.

कं. ०३/एक-11-1/85

दमोह दि. 28 फरवरी 2026

::- संशोधित कार्य विभाजन आदेश -::

कार्य विभाजन आदेश कं. 80/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 22.12.2025 में सरल कं. 04 के खंड कं. 04 के सरल कं. 04 के पश्चात् नवीन सरल कं. 05 निम्नानुसार अंतरस्थापित किया जाता है:-

परिवार न्यायालय दमोह की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र एवं तहसील हटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकार के आवेदन पत्र, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956, प्रतिपाल्य संरक्षण अधिनियम, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(सुभाष सोलंकी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र.

पृष्ठांकन कं. 822/एक-11-1/85
आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

दमोह दि. 28 फरवरी 2026

01. समस्त न्यायालय/प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा जिला दमोह/परिवार न्यायालय दमोह।
02. अध्यक्ष/सचिव समस्त अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. जेएसए दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह